बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2013–14
विभाग का नाम –आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता –संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
2. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय –दिनांक – 02.12.2013 को 4.00 बजे अपराह्न तक ।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय –दि0–03.12.2013 को 3.00 बजे अपराह्न ।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान –आपदा प्रबंधन विभाग ।
5. कार्य का ब्यौरा :–

क्र0सं0	मद का नाम	सामग्री का गुणस्तर (Specification)	मात्रा (अदद में)
1.	फ्लैक्सी बोर्ड	लोहे का फ्रेमयुक्त 6 X 3 फीट का फ्लैक्सी बोर्ड।	प्रत्येक प्रखंड हेतु 2–2 अदद की संख्या में कुल– 1068 (एक हजार अड़सठ) अदद

उपर्युक्त फ्लैक्सी बोर्ड की आपूर्ति हेतु निबंधित संवेदक/एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है । तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक – 02.12.2013 अपराह्न 4.00 बजे तक संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के समक्षा दाखिल कर सकते हैं । निविदा विभागीय संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष विभागीय क्रय समिति के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक –03.12.2013 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं ।

अल्पकालीन निविदा के नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैं –

1. इन मदों में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/विक्रेता/एजेंट /आपूर्तिकर्ता /प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी लेकिन सफल निविदादाताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण–पत्र देना होगा । अधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

2. इस मद में जो निविदादाता निविदा देने के इच्छुक हों उनके लिये आवश्यक होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में उनका टर्न ओभर निविदाकृत मद के लागत मूल्य के दो गुणा हो । टर्न ओभर के सत्यापन हेतु विगत वित्तीय वर्ष का समर्पित आयकर रिटर्न को अनुलग्नक के रूप में समर्पित ट्रेडिंग अकाउंट /प्रोफिट ऐण्ड लॉस अकाउंट एवं बैलेंस शीट का छाया प्रति फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित कराकर निविदा के साथ समर्पित की जाय । यदि अधिकृत विक्रेता या एजेंट निविदा देते हैं तो टर्न ओभर उनको प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्ता इकाई का भी मान्य होगा ।

3. निविदा दो भागों में (1) तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग के रूप में ली जाएगी । यदि किसी निविदा में तकनीकी भाग तथा वित्तीय भाग अलग–अलग नहीं होगा तो उस निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

4. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्शियल प्रोफाइल), वार्षिक टर्न ओवर तथा उत्पादनकर्ता होने के संबंध में जो अन्य शर्तें रखी गयी हैं उसका प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्तें, निविदा मूल्य, अग्रधन की वांछित राशि यदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ फर्म अपने लेटर पैड के साथ संलग्न कर समर्पित करेंगे ।

5. वित्तीय भाग में सिर्फ मद का दर सभी कर सहित अंकित करेंगे । अंकित दर में कोई कटिंग /ओभरराइटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा । मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके ऊपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा । यदि एक से अधिक मद का वित्तीय भाग एक साथ एक ही लिफाफे में समर्पित किया जाएगा तो निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में अन्य कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

6. तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के ऊपर अल्पकालीन निविदा सं0–01/2013–14 का तकनीकी भाग तथा अल्पकालीन निविदा सं0–01/2013–14 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा । इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा। ये दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेंगे जिसके ऊपर सिर्फ अल्पकालीन निविदा सं0–01/2013–14 अंकित रहेगा । फर्म का नाम एवं पता इसपर अंकित नहीं रहेगा ।

7. नमूना पर दर किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जाएगा । नमूना पर दर अंकित किए जाने वाले फर्म की निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी ।

8. निविदा के तकनीकी भाग दिनांक –03.12.2013 को 3.00 बजे अपराह्न में संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोले जाएंगे । उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

9. आपूरित मद का निरीक्षण किस संस्था एवं किस रीति से कराया जाएगा इसका निर्णय विभाग लेगा जो फर्म पर बाध्यकारी होगा । मदों की जॉच के दौरान संबंधित खर्च निविदादाता स्वयं वहन करेंगे तथा इस जॉच में हुए किसी प्रकार की विलम्ब के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

10. प्रत्येक निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर(सभी कर सहित) अंकित किया जाए । यदि निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा "कर आवश्यकतानुसार " अंकित होगा तो निविदा स्वयमेव रद्द समझी जाएगी तथा इन विन्दु पर अन्य कोई सुनवाई नहीं होगी । निविदा में अंकित दर पर कोई छूट मान्य नहीं होगी ।

11. निविदा के साथ आवश्यकतानुसार अग्रधन की वांछित राशि का एक प्रतिशत या अधिकतम 10,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट /नेशनल सेविंग पास बुक/एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बंधित जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी पूर्व वर्ष या पूर्व में जमा अग्रधन/प्रतिभूतिधन इस निविदा के अग्रधन के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा । बिहार स्थित लघु उद्योग इकाईयों को अग्रधन देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

12. मद की आपूर्ति संबंधित जिला मुख्यालय में निष्प्रभार ली जाएगी, जिला मुख्यालय तक पहुँचाने हेतु विभाग द्वारा अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा । आपूरित मद तबतक प्राप्त नहीं समझा जाएगा जबतक कि निरीक्षण समिति मदों को निरीक्षण के पश्चात् स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं कर देती है । अस्वीकृत मद की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त मद वापस ले जाना होगा ।

13. निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न तथा पैन नंबर की छाया प्रति अवश्य संलग्न करेंगे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

14. मदों के लिए व्यक्त दर संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा । 31 मार्च से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होंगे ।

15. अगर निविदा अधिकृत विक्रेता या एजेंट द्वारा समर्पित की जाती है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होती है तो एकरारनामा के सम्पादन में निविदाकर्ता के साथ निविदाकर्ता को प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्ता इकाई को भी सम्मिलित होना पड़ेगा ।

16. निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन–कौन से अनुलग्नक संलग्न किये हैं, उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण–पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य हैं ।

17. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात एवं नमूना स्वीकार नहीं किया जाएगा । अगर कोई फर्म ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

18. फ्लैक्सी बोर्ड के ऊपर लिखने की सामग्री एवं चित्र विभाग द्वारा अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

19. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दें या बढ़ा दें ।

20. निविदा की अद्यतन जानकारी एवं शर्तों को विभागीय वेबसाईट –WWW.disastermgmt.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

(अनिरुद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

D:\Hall Wipro Photostat\Alpkalin punarniwida 3 2013-14.docx